FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

संजीव कुमार बनाम दिनेश कुमार आदि

किस्म मुकदमा – अपील मुकदमा नम्बर:– 16 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.09.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट की ओर से वकील **श्री भागीरथमल जाखड़** उपस्थित। यह अपील मय स्थगन आवेदन तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 21.12.2022 के विरूद्ध पेश की गयी हैं। अंतरिम स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम गुंगारा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 4.85 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.73 हैक्टेयर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के संयुक्त खाते व कब्जे, काश्त की तथा अविभाजित भूमि है। अप्रार्थीगणों ने अधीनस्थ न्यायालय के यहां उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के लिए दफा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को नोटिस व सुनवाई के अवसर दिये बगैर आपसी सहमति बताकर प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षरयुक्त सहमति दिखाकर मुख्य सड़क पर अपना हिस्सा दर्ज करवाकर गलत बंटवारा करवाने का आदेश दिनांक 21.12.2022 जारी किया गया है, जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। कानूनी प्रावधानों के तहत सभी हिस्सेदारों का समान बंटवारा होना चाहिए। प्रार्थी ने उक्त बंटवारे के बाबत कभी सहमति नहीं दी थी ना ही प्रार्थी को उक्त बंटवारे के बाबत कभी मालूम रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दफा 53 के तहत बंटवारा नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की है। अप्रार्थी ने मनमाने आधार पर अच्छी से अच्छी भूमि जो मुख्य सड़क मार्ग पर अवस्थित है, को गलत रूप से अपने नाम करवाकर अच्छी से अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहता है तथा प्रार्थी का हिस्सा पीछे की साईड में गलत दर्ज करवा दिया है। अतः तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 21.12.2022 की क्रियान्विति अपील के निस्तारण तक स्थगित रखी जाने एवं रिकार्ड व मौका की यथास्थिति रखे जाने का आदेश प्रदान करें। हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट ग्राम गुंगारा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 523 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 4.85 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.73 हैक्टेयर का हिस्सेदार काश्तकार खातेदार है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अपीलांट के पक्ष में सबल प्रतीत होता है। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	नोटिस:- 1075-76 26.09.25 रि.डा.:- 127 26.09.25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)	अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। उभयपक्षकारान को अंतरिम रूप से पाबंद किया जाता है कि ग्राम गुंगारा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 4.85 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.73 हैक्टेयर पर आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेंट्स की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर से मूल रिकार्ड प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 30.10.25 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	
30.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप०। वकील अपीलांट ने पत्रावली पर नोटप्रेस अंकित कर निवेदन किया है कि वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः यह अपील अपीलांट Not Press में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	Note Press [illegible]